अनुदान संख्या 95 – चंडीगढ़
GRANT No. 95–CHANDIGARH

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*35,22,00*		*39,57,00*	*39,49,47*	*–7,53*
पूरक	*Supplementary*	*4,35,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1190,35,00		1283,92,00	1283,96,77	+4,77
पूरक	Supplementary	93,57,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*30,00*	*29,97*	*–3*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted -					
मूल	Original	191,76,00		232,84,00	232,81,17	–2,83
पूरक	Supplementary	41,08,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''पुलिस'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, यद्यपि मार्च, 2008 में 9357.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head “2055” – “Police”.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, although supplementary grant of Rs.9357.00 lakhs was obtained in March, 2008,

किया गया तथापि, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 4.77 लाख रु. अधिक हुआ (वास्तविक अधिक व्यय 4,77,412 रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अतिरिक्त मांगें स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.4.77 lakhs (actual excess was Rs.4,77,412). **The excess requires regularisation by Voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
क-गृह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	1001.00			
पू.	S.	180.00	1170.70	1147.85	–22.85
पु.	R.	–10.30			
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
निर्वाचन	Elections				
मू.	O.	150.00	19.93	19.93	. .
पु.	R.	-130.07			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	859.00			
पू.	S.	126.00	957.80	954.87	–2.93
पु.	R.	–27.20			
ज-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J- Ministry of Health and Family Welfare**				
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	7669.00			
पू.	S.	573.00	8204.18	8201.83	–2.35
पु.	R.	–37.82			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
ठ-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**L-Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष ''2202'' सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education					
मू.	O.	11416.00				
पू.	S.	808.00		12185.06	12174.06	–11.00
पु.	R.	–38.94				
मुख्य शीर्ष ''2203'' तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education					
मू.	O.	2319.00				
पू.	S.	267.00		2623.81	2623.53	–0.28
पु.	R.	37.81				
ड-महिला और बाल विकास विभाग	**M-Department of Women and Child Development**					
मुख्य शीर्ष ''2236'' पोषण	Major Head "2236" Nutrition					
मू.	O.	300.00				
				130.49	130.48	–0.01
पु.	R.	–169.51				
ढ-युवा मामले और खेल मंत्रालय	**N-Ministry of Youth Affairs and Sports**					
मुख्य शीर्ष ''2204'' खेल और युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services					
मू.	O.	1024.00				
पू.	S.	84.00		1089.43	1088.23	–1.20
पु.	R.	-18.57				
ण-संस्कृति मंत्रालय	**O-Ministry of Culture**					
मुख्य शीर्ष ''2205'' कला और संस्कृति	Major Head "2205" Arts and Culture					
मू.	O.	594.00				
पू.	S.	60.00		626.56	623.32	–3.24
पु.	R.	–27.44				

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ध-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**S-Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport					
मू.	O.	9057.00				
पू.	S.	561.00		9631.29	9630.74	–0.55
पु.	R.	13.29				
न-पर्यटन मंत्रालय	**T-Ministry of Tourism**					
मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	Major Head "3452" Tourism					
मू.	O.	203.00				
पू.	S.	211.00		416.64	416.54	–0.10
पु.	R.	2.64				
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U-Ministry of Urban Development**					
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति और सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation					
मू.	O.	2271.00				
पू.	S.	149.00		2366.87	2363.00	–3.87
पु.	R.	–53.13				
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development					
मू.	O.	20973.00				
पू.	S.	906.00		21893.72	21893.30	–0.42
पु.	R.	14.72				
भ-संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**X-Ministry of Communication and Information Technology**					
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services					
मू.	O.	359.00				
पू.	S.	146.00		468.67	468.67	. .
पु.	R.	–36.33				

(I) मुख्य शीर्ष "2210" - "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और औषधालय - सामान्य अस्पताल चंडीगढ़" के अंतर्गत 116.93 लाख रु. का अधिक व्यय (127.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1748.70 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक औषधियों का क्रय किए जाने और महंगाई भत्ते के बकाया किस्त की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(I) Under Major Head "2210" – "Urban Health Services – Allopathy – Hospitals and Dispensaries – General Hospital Chandigarh" - excess of Rs.116.93 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1748.70 lakhs including supplementary grant of Rs.127.00 lakhs) was due to purchase of more medicines and payment of arrears of dearness allowance installment.

(II) मुख्य शीर्ष "2202" - विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - कला और विज्ञान कालेज" के अंतर्गत 120.80 लाख रु. का अधिक व्यय (45.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2130.58 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यावसायिक कालेजों का कंप्यूटरीकरण किए जाने और महंगाई भत्ते के बकाया किस्त की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(II) Under Major Head "2202" - "University and Higher Education - Government Colleges and Institutes - Arts and Science Colleges"- excess of Rs.120.80 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2130.58 lakhs including supplementary grant of Rs.45.00 lakhs) was due to computerisation of professional colleges and payment of arrears of dearness allowance installment.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 121.13 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 93 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of Rs.121.13 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 15 percent and 93 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नानुसार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

3. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) 10.50 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.10.50 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और औषधालय - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र" - 272.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 12.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 284.10 लाख रु. कर दिया गया । तथापि, 40.22 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने और बिजली और पानी के बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) Major Head "2210" – "Urban Health Services – Allopathy – Hospitals and Dispensaries – Primary Health Centres" – the original provision of Rs.272.10 lakhs was augmented to Rs.284.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.12.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.40.22 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of electricity and water bills.

(खा) मुख्य शीर्ष "2202" - "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा" -

(B) Major Head "2202" - "University and Higher Education" –

(क) ''गैर-सरकारी कालेजों और संस्थानों को सहायता - निजी कालेजों को सहायता अनुदान'' - 1380.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1400.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 150.13 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सहायता अनुदान की कम मात्राा का परिकलन किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''सरकारी कालेज और संस्थान - सरकारी व्यावसायिक कालेज'' - 517.91 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 524.91 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 47.28 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(गा) मुख्य शीर्ष ''2205'' - ''ललित कला शिक्षा - कला के सरकारी कालेज'' - 206.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 18.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 224.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 18.07 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पदों का सृजन न किए जाने के कारण हुईं।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2014'' - ''उच्च न्यायालय - स्थापना'' - 380.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 73.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 453.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के भरे न जाने और चिकित्सा संबंधी कम बिल प्राप्त होने के कारण 34.14 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''होमगार्ड - चंडीगढ़'' - 651.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 47.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 698.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो कम संख्या में दैनिक मजदूरों को काम पर लगाए जाने के कारण 25.63 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) "Assistance to Non-Government Colleges and Institutes – Grants-in-aid to Private Colleges"- the original provision of Rs.1380.00 lakhs was augmented to Rs.1400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.150.13 lakhs (including supplementary grant) due to less quantum of Grants-in-aid calculated.

(b) "Government Colleges and Institutes – Government Professional Colleges"- the original provision of Rs.517.91 lakhs was augmented to Rs.524.91 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.47.28 lakhs (including supplementary grant); and

(C) Major Head "2205" – "Fine Arts Education – Government Colleges of Arts" – the original provision of Rs.206.00 lakhs was augmented to Rs.224.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.18.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.18.07 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to non-creation of posts.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2014" – "High Courts – Establishment" - the original provision of Rs.380.00 lakhs was augmented to Rs.453.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.73.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.34.14 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and receipt of less medical bills.

(B) Major Head "2070" – "Home Guards - Chandigarh" - the original provision of Rs.651.00 lakhs was augmented to Rs.698.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.47.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.25.63 lakhs – due to employment of less daily wagers.

(गा) मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और औषधालय - अन्य औषधालय'' - 642.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 56.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 698.10 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो विद्युत और जल प्रभारों के बिल प्राप्त न होने के कारण 18.03 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) Major Head "2210" – "Urban Health Services – Allopathy – Hospitals and Dispensaries – Other Dispensaries" - the original provision of Rs.642.10 lakhs was augmented to Rs.698.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.56.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.18.03 lakhs – due to non-receipt of electricity and water charges bills.

(घा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता - पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़'' - 3200.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 550.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3750.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वास्तविक घाटा निर्धारित किए जाने के कारण 91.23 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(D) Major Head "2202" - "University and Higher Education - Assistance to Universities – Punjab University, Chandigarh"- the original provision of Rs.3200.00 lakhs was augmented to Rs.3750.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.550.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.91.23 lakhs – due to actual deficit fixed by the Ministry of Human Resource Development.

(ङ) मुख्य शीर्ष ''2203'' - ''इंजीनियरी/तकनीकी कालेज और संस्थान - चंडीगढ़ वास्तुकला कालेज'' - 277.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 287.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो पदों का सृजन न किए जाने के कारण 6.69 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(E) Major Head "2203"- "Engineering/ Technical Colleges and Institutes – Chandigarh College of Architecture"- the original provision of Rs.277.00 lakhs was augmented to Rs.287.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.69 lakhs – due to non-creation of posts.

(चा) मुख्य शीर्ष ''2204'' -

(क) ''विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय कैडेट कोर'' - 211.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 14.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 225.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो सामग्री की खरीद न किए जाने और विद्युत और जल प्रभारों के बिल प्राप्त न होने के कारण 7.34 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''शारीरिक शिक्षा - खेलकूद कोचिंग केंद्र'' - 682.67 लाख रु. के मूल प्रावधान को 70.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 752.67 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो 17.27 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(F) Major Head "2204" –

(a) "Youth Welfare Programmes for Students – National Cadet Corps" - the original provision of Rs.211.00 lakhs was augmented to Rs.225.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.14.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.7.34 lakhs – due to non-purchase of material and non-receipt of electricity and water charges bills.

(b) "Physical Education – Sports Coaching Centre" - the original provision of Rs.682.67 lakhs was augmented to Rs.752.67 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.70.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.17.27 lakhs; and

(छा) मुख्य शीर्ष "2205" -

(क) "कला और संस्कृति का संवर्धन - अन्य स्कीमें" - 50.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 18.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 68.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो 11.41 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुईं।

(ख) "अन्य व्यय - टी.एस. केंद्रीय राजकीय पुस्तकालय, चंडीगढ़" - 175.22 लाख रु. के मूल प्रावधान को 16.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 191.22 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो पदों का सृजन न किए जाने के कारण 5.53 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(जा) मुख्य शीर्ष "3055" - "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम" -

(क) "प्रबंधन" - 237.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 261.50 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के भरे न जाने और सामग्री की कम खरीद किए जाने के कारण 5.03 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "मरम्मत और रख-रखाव" - 1260.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 38.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1298.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो बसों की मरम्मत के लिए सामग्री की कम खरीद किए जाने के कारण 33.53 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(झा) मुख्य शीर्ष "3452" - "सामान्य - संवर्धन और प्रचार - पर्यटन संगठन का सुदृढ़ीकरण" - 23.14 लाख रु. के मूल प्रावधान को 40.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 63.14 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो पदों का सृजन न किए जाने के कारण 6.81 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(G) Major Head "2205" –

(a) "Promotion of Arts and Culture – Other Schemes" - the original provision of Rs.50.00 lakhs was augmented to Rs.68.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.18.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.41 lakhs.

Savings under the above two heads were due to less number of beneficiaries.

(b) "Other Expenditure – T.S. Central State Library, Chandigarh" - the original provision of Rs.175.22 lakhs was augmented to Rs.191.22 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.16.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5.53 lakhs – due to non-creation of posts.

(H) Major Head "3055" – "Chandigarh Transport Undertaking" –

(a) "Management"- the original provision of Rs.237.50 lakhs was augmented to Rs.261.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5.03 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and less purchase of material.

(b) "Repairs and Maintenance" - the original provision of Rs.1260.00 lakhs was augmented to Rs.1298.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.38.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.33.53 lakhs – due to less purchase of material for repair of buses.

(I) Major Head "3452" – "General – Promotion and Publicity – Strengthening of Tourism Organisation" - the original provision of Rs.23.14 lakhs was augmented to Rs.63.14 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.40.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.81 lakhs – due to non-creation of posts.

(ञ) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जल पूर्ति - निदेशन और प्रशासन - कार्यकारी स्थापना'' - 419.03 लाख रु. के मूल प्रावधान को 51.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 470.03 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के भरे न जाने और बिजली और टेलीफोन प्रभारों के बिल प्राप्त न होने के कारण 15.42 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(J) Major Head "2215" – "Water Supply – Direction and Administration – Executive Establishment" - the original provision of Rs.419.03 lakhs was augmented to Rs.470.03 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.51.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.15.42 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of electricity and telephone charges bills.

(ट) मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - वरिष्ठ नगर आयोजक स्थापना'' - 104.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 112.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के भरे न जाने और विद्युत और जल प्रभारों के बिल प्राप्त न होने के कारण 5.93 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(K) Major Head "2217" – "General – Other Expenditure – Senior Town Planner Establishment" - the original provision of Rs.104.00 lakhs was augmented to Rs.112.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5.93 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of electricity and water charges bills.

(ठ) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग'' - 359.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 146.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 505.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, मोहाली द्वारा राज्य मुख्यालय न बनाए जाने की वजह से कम बिल प्राप्त होने के कारण 36.33 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(L) Major Head "3451" - "Secretariat – Department of Information and Technology" - the original provision of Rs.359.00 lakhs was augmented to Rs.505.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.146.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.36.33 lakhs – due to receipt of less bills owing to non-building up of State Headquarter by Software Technology Park of India (STP), Mohali.

(IV) अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतों द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गया:-

(IV) Excess was also offset by savings under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2015'' - ''अन्य व्यय - नगरपालिकाओं के चुनाव'' - 130.07 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नगरपालिका चुनावों का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(A) Major Head "2015" – "Other Expenditure – Election for Municipalities" –saving of Rs.130.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non-holding of Municipal Corporation elections.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2236'' - ''पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण - विशेष पोषण कार्यक्रम - अधिप्राप्ति और वितरण'' - 169.52 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने और लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(B) Major Head "2236" – "Distribution of Nutritious Food and Beverages – Special Nutritions Programme – Procurement and Distribution" – saving of Rs.169.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-implementation of scheme and less number of beneficiaries.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 149.56 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत और 33 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of Rs.149.56 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 21 percent and 33 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
क-गृह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष ''4055''	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	345.00			
पू.	S.	250.00	497.80	497.75	–0.05
पु.	R.	–97.20			
ठ-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**L-Department of Secondary Education and Higher Education**				
मुख्य शीर्ष ''4202''	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education Sports, Arts and Culture				
मू.	O.	749.00			
पू.	S.	266.00	1003.66	1002.12	–1.54
पु.	R.	–11.34			
ध-सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	**S-Ministry of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष ''5054''	Major Head "5054"				
सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	175.00			
			304.54	304.55	+0.01
पु.	R.	129.54			
मुख्य शीर्ष ''5055''	Major Head "5055"				
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads Transport				
मू.	O.	933.00			
पू.	S.	300.00	1090.26	1090.19	–0.07
पु.	R.	–142.74			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U-Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	580.00			
पू.	S.	1021.00	1909.79	1909.80	+0.01
पु.	R.	308.79			
मुख्य शीर्ष ''4217'' शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	9583.00			
पू.	S.	1614.00	11135.29	11134.63	-0.66
पु.	R.	-61.71			

(I) 5.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''5055'' - 'बेड़े का अधिग्रहण - चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम'' के अंतर्गत 700.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2008 में 300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1000.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 400.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) वातानुकूलित बसों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''4055'' - ''पुलिस आवास - भवन'' के अंतर्गत 75.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2008 में 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 275.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो 100.05 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(IV) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''सामान्य शिक्षा - अन्य व्यय - भवन'' के अंतर्गत 124.51 लाख रु. की बचत

(I) Provision of Rs.5.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under Major Head "5055" – "Acquisition of Fleet – Chandigarh Transport Undertaking" – the original provision of Rs.700.00 lakhs was augmented to Rs.1000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.300.00 lakhs in March, 2008. However, there was a saving of Rs.400.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of proposal for purchase of AC buses.

(III) Under Major Head "4055" - "Police Housing - Buildings" – the original provision of Rs.75.00 lakhs was augmented to Rs.275.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs in March, 2008 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.100.05 lakhs; and

(IV) Under Major Head "4202" - "General Education – Other Expenditure - Buildings" -

(135.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न किए जाने/विलंब से प्राप्त होने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष ''4217'' - ''राज्य की राजधानी का विकास - अन्य व्यय - अन्य विकास स्कीमें'' के अंतर्गत 437.42 लाख रु. की बचत (660.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कतिपय स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 256.14 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थीं।

5. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''सामान्य शिक्षा - माध्यमिक शिक्षा - भवन'' - 167.70 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 175.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 250.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(II) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास'' - 308.80 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 552.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1052.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(III) मुख्य शीर्ष ''4217'' - ''राज्य की राजधानी का विकास'' -

(क) ''निर्माण - अन्य स्कीमें'' - 343.50 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 617.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3280.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

saving of Rs.124.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.135.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt/late receipt of administrative approval.

(V) Under Major Head “4217” – “State Capital Development – Other Expenditure – Other Development Schemes” - saving of Rs.437.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.660.00 lakhs) was due to non-finalisation of certain schemes.

(VI) Under three heads savings of Rs.256.14 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

5. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head “4202” – “General Education – Secondary Education - Buildings” – excess of Rs.167.70 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs including supplementary grant of Rs.175.00 lakhs obtained in March, 2008);

(II) Major Head “4216” - “Government Residential Buildings – General Pool Accommodation – Accommodation for Government Employees” – excess of Rs.308.80 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1052.00 lakhs including supplementary grant of Rs.552.00 lakhs obtained in March, 2008); and

(III) Major Head “4217” – “State Capital Development” –

(a) “Construction – Other Schemes” – excess of Rs.343.50 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3280.00 lakhs including supplementary grant of Rs.617.00 lakhs obtained in March, 2008).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय चालू निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''अन्य व्यय - बागवानी विकास'' - 122.90 लाख रु. का अधिक व्यय (130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तार बिछाने संबंधी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(IV) मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''जिला और अन्य सड़कें - अन्य व्यय - संपर्क सड़कों का निर्माण'' - 130.02 लाख रु. का अधिक व्यय (125.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(V) मुख्य शीर्ष ''5055'' - ''चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम - बसों का विस्तार और विकास'' - 158.51 लाख रु. का अधिक व्यय (173.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेक्टर-43 के बस स्टैंड के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 211.80 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 164 प्रतिशत तक था।

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds for completion of ongoing construction work.

(b) "Other Expenditure – Horticulture Development" – excess of Rs.122.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for completion of wire creation works.

(IV) Major Head "5054" – "District and Other Roads – Other Expenditure – Construction of Link Roads" – excess of Rs.130.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.125.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for completion of construction of link roads.

(V) Major Head "5055" – "Chandigarh Transport Undertakings- Expansion and Development of Bus" – excess of Rs.158.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.173.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for completion of works at Bus stand, Sector – 43.

(VI) Under three heads excess of Rs.211.80 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 164 percent of the sanctioned provision.